"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2017 —— अग्रहायण 30, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 — (अग्रहायण 30, 1939)

क्रमांक-11624/वि. स./विधान/2017 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017), जो गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 24 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, शब्द "अध्यक्ष (चेयरपर्सन)" के पश्चात्, शब्द "तथा उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा" के पश्चात्, शब्द "तथा एक उपाध्यक्ष होगा" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, जहां कही भी शब्द "अध्यक्ष" आया हो के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 6 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 15 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 15 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 17 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 17 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) यह उपबंधित करता है कि आयोग में ऐसे तीन अशासकीय सदस्य शामिल होंगे जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में विशिष्ट ज्ञान रखते हों तथा इनमें से एक अध्यक्ष होगा;

और यत: राज्य के अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिये, उक्त अधिनियम में उपाध्यक्ष के लिये प्रावधान करना प्रस्तावित है;

अतएव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) की धारा 2, 3, 4, 6, 15 एवं 17 में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 17 दिसम्बर, 2017

केदार कश्यप
आदिम जाति विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995
धारा 2,3,4,6,15 एवं 17 का उपाबंध

1. **धारा-2 खण्ड (ख) :-**
'सदस्य' से अभिप्रेत है आयोग का, सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है.

2. **धारा 3, उपधारा (2), खण्ड (क) :-**
तीन अशासकीय सदस्य जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे.

3. **धारा 4 :-**
(1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा.
(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा.
(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है
(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास में दंडादिष्ट किया जाता है.
(ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है.
(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है.
(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या
(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है, जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जनजातियों के हित या लोकहित के लिए अपायकर हो गया है.
(3) परंतु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है.
(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति को नया नामनिर्देशन करके भरा जायेगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि तक पद धारण करेगा.
(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये.

4. धारा 6 :-

अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्यय, अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा.

5. धारा 15 :-

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे.

6. धारा 17 उपधारा (2) खण्ड (क) :-

धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.